दिनांक 11/01/2024 को थाना कालसी पुलिस ने किया चोरी की 04 अलग-अलग घटनाओं का अनावरण, क्षेत्र में चोरी की अलग-अलग घटनाओं को अजांम देने वाले 07 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

दिनांक 09.01.24 को कालसी में संपन्न हुई जौनसार भावर क्षेत्र की महापंचायत में नशाखोरों के विरुद्ध पुरजोर कार्यवाही की मांग का संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून द्वारा महापंचायत के मुख्य बिंदुओं की प्रशंसा की गई तथा इसके एजेंडे को एक नजीर बताते हुए थानाध्यक्ष कालसी को तलब कर कालसी में दर्ज प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली गई तथा 48 घंटे के भीतर समस्त प्रकरणों को खुलासा करने का थानाध्यक्ष कालसी को अल्टीमेटम दिया गया था, कालसी पुलिस द्वारा थाने पर दर्ज चोरी के 04 अभियोगों में प्रभावी सुरागरसी/पतारसी करते हुए दर्ज प्रकरणों का सफलतापूर्वक खुलासा किया गया।

1- दिनांक 08/01/24 को वादी शांति प्रसाद उर्फ बबलू पुत्र स्वर्गीय मुन्ना सिंह निवासी नेवी पोस्ट सैया थाना कालसी की द्वारा थाना कालसी पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर से 18 नग देवदार के स्लीपर चोरी किये गये है, जिस पर थाना कालसी में मु0अ0सं0- 03/24 धारा 379/411/34 भादवी 379 भादवि बनाम अज्ञात दर्ज किया गया था। अभियोग के अनावरण हेतु पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी/पतारसी करते हुए मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल 03 अभियुक्तों (1)- जयदीप पुत्र सोहन सिंह ग्राम नेवी तहसील कसी उम्र 35 वर्ष (2)- सुनील पुत्र भोगलू निवासी ग्राम रिखाड चकराता उम्र 35 वर्ष तथा (3)- प्रदीप पुत्र खिल्लू निवासी चापनू कालसी हाल पता बाढ़वाला विकास नगर को दिनांक 10.1.2024 को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस टीम द्वारा घटना में चोरी किये गये 11 नग देवदार के स्लीपर बरामद किये गये। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा उक्त स्लीपरों को अभियुक्त प्रदीप के पिकअप वाहन से चोरी कर ले जाना बताया गया, जिस पर पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन संख्या UK 16 CA 0471 को भी कब्जे में लिया गया है।

2- दिनांक 08/01/.2024 को वादी चमन सिंह पुत्र टपकु सिंह निवासी ग्राम दोऊ थाना कालसी द्वारा थाना कालसी पर तहरीर देकर अवगत कराया कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी की छानी से 07 बकरियां चोरी कर कर ली है, तहरीर के आधार पर थाना कालसी पर मु0अ0सं0- 04/24 धारा 380/457/411/34 भादवी बनाम अज्ञात दर्ज किया गया।

3- दिनांक 09/01/2024 को वादी आलम सिंह पुत्र भवान सिंह निवासी ग्राम अमराह थाना कालसी द्वारा थाना कालसी में तहरीर दी की अज्ञात चोरों द्वारा वादी की छावनी से पांच बकरी और दो बकरे चोरी कर लिये है। तहरीर के आधार पर थाना कालसी में मु0अ0सं0-06/24 धारा 380/457/411/34 भादवी बनाम अज्ञात दर्ज किया गया।

दर्ज अभियोग के अनावरण हेतु थाना कालसी पर गठित टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना में शामिल 03 अभियुक्तों (1)- प्रदीप पुत्र खिल्लू निवासी चापनू कालसी हाल पता बाढ़वाला विकास नगर, (2)- शोभित पुत्र आनंद सिंह ग्राम बजाओ तहसील कसी उम्र 25 वर्ष तथा (3)- इस्लाम पुत्र शब्बीर ग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर उम्र 31 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर गिरफतार किया गया, पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से रात को छानियों का ताला तोड़कर बकरियों की चोरी कर उन्हें गैर प्रांत सहारनपुर के मिर्जापुर में लगने वाली पशु पीठ में बेचने के लिये ले जाने की बात बतायी गई। अभियुक्त प्रदीप द्वारा चोरी के समान को ले जाने के लिये अपने वाहन पिकअप UK 16 CA 0471 का प्रयोग किया जाता था। अभियुक्तों का लोकल होने के कारण पहले चोरी वाले स्थानों की रेकी करना तथा स्थानीय होने का फायदा उठाकर रात में छुप कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देना ज्ञात हुआ।

4- वादी पंडित भारत भूषण शर्मा पुत्र स्वर्गीय चंद्रमणि शर्मा पीठाधीश्वर श्री महाकाली मंदिर जामन स्रोत के द्वारा दिनांक 08/01/24 की रात्रि को काली मंदिर में अज्ञातों द्वारा मंदिर का ताला तोड़कर एक नथ पीली धातु, एक जोड़ी कानों की झुमकी पीली धातु, तीन छात्र व एक सुराही चांदी की तथा एक दान पात्र चोरी करके ले जाने के सम्बंध में थाना कालसी पर तहरीर दी गई, जिस पर थाना कालसी में मु0अ0सं0- 05/24 धारा 380/457/411/34 आईपीसी बनाम अज्ञात का अभियोग दर्ज कर उच्चाधिकारी गणों को अवगत कराया गया। घटना के अनावरण हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में थाना कालसी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल 02 अभियुक्तगणों (1)- जवाहर पुत्र मैहर सिंह निवासी ग्राम उत्पलटा उम्र 41 वर्ष तथा (2)-योगेश चौहान पुत्र प्रताप चौहान निवासी 282 विकास नगर उम्र 38 वर्ष को घटना में चोरी किये गये शत प्रतिशत माल के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों

गिरफ्तार दोनो अभियुक्त आदतन अपराधी है, जिनके विरूद्व जनपद के अलग-अलग थानों में गैंगस्टर एक्ट, चोरी, लूट तथा अन्य आपराधिक घटनाओं के कई अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः

1-अभियुक्त जवाहर सिंह पुत्र स्व0 मेहर सिंह,
(1)- मु0अ0सं0-23/16, धारा 13 जी एक्ट, थाना कालसी, देहरादून।
(2)- मु0अ0सं0-29/18, धारा 13 जी एक्ट, थाना कालसी, देहरादून।
(3)- मु0अ0सं0-72/18, धारा 392,411 भादवि, थाना पटेलनगर देहरादून।
(4)- मु0अ0सं0-238/18, धारा 13 जी एक्ट, थाना विकासनगर देहरादून।
(5)- मु0अ0सं0-239/18, धारा 25/4 आर्म्स एक्ट, थाना विकासनगर, देहरादून।
(6)- मु0अ0सं0-503/19 धारा 379,411,34 भादवि थाना विकासनगर, देहरादून।
(7)- मु0अ0सं0-2/21, धारा 395,307,347,504, भादवि थाना चकराता, देहरादून।
(8)- मु0अ0सं0-3/21, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना चकराता, देहरादून।

2-अभियुक्त योगेश चौहान पुत्र प्रताप सिंहः
(1)- मु0अ0सं0-80/15, धारा 380,411 भादवि, थाना विकासनगर देहरादून।
(2)- मु0अ0सं0-234/18, धारा 392,506,411, थाना विकासनगर देहरादून।
(3)- मु0अ0सं0-235/18, धारा 25/4 आर्म्स एक्ट, थाना विकासनगर, देहरादून।
(4)- मु0अ0सं0-119/18, धारा 13 जी एक्ट, थाना विकासनगर देहरादून।
(5)- मु0अ0सं0-239/20, धारा 188 भादवि व 51(ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट, थाना विकासनगर, देहरादून।
(6)- मु0अ0सं0-503/19 धारा 379,411,34 भादवि थाना विकासनगर, देहरादून।

विवरण बरामदगी-

01- मु0अ0सं0- 03/24 धारा 379/411/34 भादवि
11 नग देवदार के स्लीपर।
2- मु0अ0सं0-04/24 धारा 380/457/411/34 भादवि
03 बकरियां
3- मु0अ0सं0-06/24 धारा 380/457/411/34 भादवि
03 बकरियां
4- मु0अ0स0-05/24 धारा 380/457/411/34 भादवि
(1)- एक नथ पीली धातु,
(2)- एक जोड़ी कानों की झुमकी पीली धातु,
(3)- तीन छत्र चांदी के
(4)- एक सुराही चांदी की
(5)- एक दान पात्र

पुलिस टीम

1- उ0नि0 वैभव गुप्ता, थानाध्यक्ष कालसी
2- एसआई आदित्य सैनी, थाना विकासनगर
3- का0 त्रेपान सिंह, थाना कालसी
4- का0 मोहन कुमार थाना कालसी

5- का0 जसमेर सिंह, थाना कालसी
6- का0 राजेश रावत
7- का0 पुनीत कुमार
8- का0 संजीव कुमार
9- का0 राजीव कुमार
10- का0 अरविंद लिंगवाल